राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(176)नविवि/3/1984 जयपुर, दिनांकः 20 AUG 2018

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.3(176)नविवि/3/1984 दिनांक 15.06.2018 के द्वारा दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की राजकीय भूमि के नियमन बाबत् दरें निर्धारित कर दिनांक 30.06.2018 तक आवेदन करने पर इन दरों पर राजकीय भूमि के नियमन करने बाबत् आदेश जारी किये गये थे। सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद यह निर्देश दिये जाते है कि इस आदेश के तहत तय की गई शर्तो के अध्यधीन अब दिनांक 31.10.2018 तक आवेदित मामलों पर यह आदेश प्रभावी रहेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे किः–

1. विकास प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करेगें।
2. दिनांक 31.10.2018 के पश्चात् आवेदित मामलों में नियमित दरों पर ही नियमन होगा यानि विभागीय आदेश दिनांक 30.11.2017 के आदेश के तहत ही कार्यवाही की जावेगीं।
3. उक्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए उक्तानुसार की जाएगी।

20/8/18
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को सूचनार्थ बाबत्।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. संयुक्त शासन सचिव/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज0, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राज0, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

20/8/18
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम